

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/139/2019

डा.रामकिशन पोहिया (जाटव) 152,दीनदयाल नगर, आर0बी0एम0 अस्पताल के पीछे भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 07.01.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त डा.रामकिशन पोहिया (जाटव) 152, दीनदयाल नगर, आर0बी0एम0 अस्पताल के पीछे भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 26.10.2019 के द्वारा श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के पत्रांक 895 दिनांक 18.09.2019 के संलग्न पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/1058 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/10572 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/10572 दिनांक 24.12.2019 का अवलोकन किया। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील रूपवास से सम्बन्धित होने के कारण सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत तहसीलदार रूपवास को अन्तरित की जाकर रिपोर्ट चाही गई। जिसके फलस्वरूप तहसीलदार रूपवास ने अपने पत्रांक 3950 दिनांक 23.12.2019 से अवगत कराया है कि प्रार्थी को नायव तहसीलदार उच्चैन द्वारा वांछित सूचना भिजवादी गई है। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने कथनों की तार्ईद में तहसीलदार रूपवास का पत्र क्रमांक/3950-3951 दिनांक 23.12.2019 व नायव तहसीलदार उच्चैन का पत्रांक 1524 दिनांक 18.12.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को सूचना उपलब्ध करा दी है।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि के साथ) प्रेषित की जावे एवं निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

